(10)

[illegible]

[illegible]

क्रमांक: [illegible]   जयपुर, दिनांक [illegible]

1. समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान

2. निदेशक,
स्थानीय निकाय,
राज.जयपुर।

3. सचिव,
नगर विकास न्यास,
------ --

विषय :- नगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण के संबंध में।

महोदय,

जयपुर विकास प्राधिकरण में दिनांक 18.12.2000 को विषयान्तर्गत आयोजित कार्यशाला में सहभागियों द्वारा यह पूछा जाने पर की खातेदार के द्वारा अपने पक्ष में कितनी कृषि भूमि का रूपान्तरण गैर कृषि प्रयोजनार्थ किया जा सकता है एवं क्या एक व्यक्ति के द्वारा 1500-1500 वर्ग गज के एक से अधिक भूखण्ड का नियमन करवाया जा सकता है ? यह स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान प्रावधानों में कृषि भूमि के अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण करवाने के लिए क्षेत्रफल संबंधी कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

भवदीय,

[signature] 20.12

(एच.एस.भारद्वाज)
शासन उप सचिव(प्रथम)